भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2366
(दिनांक 12.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

बुजुर्ग पेंशनभोगियों हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

2366 # **श्री नीरज डांगी:**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में, विशेषकर फिंगरप्रिंट फेल होने की स्थिति में, लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर रही है;
(ग) क्या सरकार ने अब तक ऐसे पेंशनभोगियों की संख्या का कोई आकलन किया है जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से वंचित रह गए हैं; और
(घ) क्या वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को इस प्रणाली के उपयोग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क)से (घ) वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग पेंशनभोगियों, विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों, जिनमें देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगी भी सम्मिलित हैं, के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष, 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनमें चिन्हित शहरों/कस्बों में कई स्थानों पर डीएलसी शिविर आयोजित किए जाते हैं। बायोमेट्रिक तंत्र के माध्यम से डीएलसी जमा करने में बुजुर्ग पेंशनभोगियों हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक लॉन्च की है, जिसमें डीएलसी जनरेट करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। सभी पेंशन संवितरण बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे डीएलसी जमा करने की प्रक्रिया की निगरानी करें और यदि किसी मामले में डीएलसी जमा नहीं हो पाता तो उस मामले में डीएलसी जमा

किया जाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। डीएलसी जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह विभाग, बैंकों की निगरानी भी करता है। वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी डीएलसी जमा करने में मदद करने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक, डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी अपनी डीएलसी अक्टूबर माह में भी जमा कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर मेगा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं जहां पेंशनभोगियों की संख्या अधिक होती है। डीएलसी अभियानों के दौरान, वृद्ध/बीमार/अक्षम/दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए डोरस्टेप सेवा भी प्रदान की जाती है।